कार्यालय
मुख्य विकास अधिकारी
आजमगढ़

(अतिअल्पकालीन निविदा सूचना)

पत्रांक :   /   दिनांक : 5-12-2019

1. मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा निम्न कार्य की प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्यों के लिये लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/पब्लिक सेक्टर में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा डालने प्राप्त होंगे।
2. कार्यों का विवरण :-

क्र0 सं0	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में) ट्रेजरी चालान	कार्य को पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	आजमगढ़	आजमगढ़ महोत्सव-2019 हेतु जजी मैदान में मन्च, जर्मन पाण्डाल, स्टाल आदि के निर्माण का कार्य।	9.93	1.00	500+225+ 144 Total = 944	03 दिन

3. कार्य पूर्ण करने की अविध दिनांक 14.12.2019 को 12.00 बजे से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी।
4. प्रस्तुत की गयी निविदा वापस नहीं ली जा सकेगी।
5. कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र जिलाधिकारी, आजमगढ़ एवं मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय से दिनांक 06.12.2019 से 09.12.2019 तक प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक नगद भुगतान करके प्राप्त की जा सकेगी।
6. निविदा जिलाधिकारी, आजमगढ़ एवं मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय में दिनांक 09.12.2019 को प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक मुहर बन्द लिफाफा में निविदा पेटिका में डाली जा सकेगी एवं दिनांक 09.12.2019 को अपराह्न 4.00 बजे मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय कक्ष में, निविदादाताओं (जो उपस्थित होना चाहते हैं) के समक्ष खोली जायेगी।
7. प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनराशि, जैसा कि कालम-5 में दर्शाया गया है, को संलग्न करना अनिवार्य होगा। जो एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप में मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ के पक्ष में बंधक होगी, जो कि निविदा की खोलने की तिथि से 45 दिन अधिक की तिथि तक वैध होना अनिवार्य है।
8. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
9. उक्त कार्य की निविदा हेतु ऐसे ठेकेदार पात्र होगे जो पूर्व में समान प्रकृति वाला (सिमिलर वर्क) 01 कार्य करा चुके होगे जिसका अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को अपनी फर्म से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।
11. निविदा स्वीकृति के उपरान्त एक कार्य दिवस के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।
12. बिना किसी कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।

(आनन्द कुमार शुक्ला)
मुख्य विकास अधिकारी
आजमगढ

पत्रांक : 1552 /   दिनांक :

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़ को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, आजमगढ़ को इस निर्देष के साथ प्रेषित कि निविदा सूचना को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी
आजमगढ